


30.9.24

पञ्जावली पेश हुई। वादी-अथर्विकला अनुपस्थित।
प्रकरण लम्बे समय से 07 R11 के जवाब हेतु निपट
है। वडि द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। वडी
द्वारा ज.प्र. का जवाब पेश नहीं किया गया है। नाडी
न्यायालय समय समाप्ति तक उपस्थित हुए। जिले
जाहिर है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर
नहीं हैं तथा वाद नहीं चलाना चाहते हैं।

अतः वडि गवाड डूली स्तर पर आदेश 9

नियम 8 के अन्तर्गत हाजरी-अदम परबी में बरिज किया
जाता है। निर्णय अरे इजलास सुनया गया।


(रियासती)

IAS